**जयसिंह अग्रवाल**
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. KRB/Res./2025-26/060 दिनांक : 20/11/2025

प्रति,
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक,
दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.),
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

विषयः **कुसमुंडा खदान विस्तार परियोजना से प्रभावित ग्राम जटराज के विस्थापित ग्रामीणों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार एवं मुआवजा/पुनर्वास में हो रही गंभीर लापरवाही के संबंध में।**

विषयांतर्गत लेख है कि कुसमुंडा खदान विस्तार परियोजना के अंतर्गत ग्राम जटराज के प्रभावित ग्रामीणों की भूमि का अधिग्रहण एस.ई.सी.एल. प्रबंधन द्वारा किया गया है। अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान **लगभग 10 परिवारों** के मकान प्रबंधन द्वारा **आठ माह पूर्व तोड़ दिए गए,** और उनके पुनर्वास हेतु एक बसाहट स्थल का चिन्हांकन भी किया गया था। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा दिया गया सामूहिक अभ्यावेदन त्वरित संदर्भ के लिए पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

**किन्तु यह अत्यंत खेदजनक एवं अमानवीय स्थिति है कि :–**

जब प्रभावित ग्रामीणजन उक्त चिन्हांकित बसाहट क्षेत्र में अपने परिवार सहित बसने के लिए पहुँचे, तो प्रबंधन द्वारा उन्हें वहाँ बसने से रोक दिया गया और कहा गया कि उनके लिए अन्यत्र व्यवस्था की जाएगी। इसके उपरांत प्रबंधन ने स्वयं कहा था कि – **"जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक आप लोग किराए के मकानों में रहें, किराया एसईसीएल द्वारा दिया जाएगा।"**

परंतु आज आठ माह से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद न तो ग्रामीणों को किसी नई बसाहट की भूमि प्रदान की गई है, और न ही उन्हें किराया भुगतान किया गया है। इस पूरी अवधि में प्रभावित परिवार न केवल दर–दर की ठोकरें खाने को विवश हैं, बल्कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित कर दिया गया है।

यह स्थिति न केवल प्रबंधन की घोर लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि यह प्रभावित गरीब ग्रामीणों के संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन भी है। भूमि अधिग्रहित कर लेने के बाद न पुनर्वास देना, न मुआवजा देना और न वैकल्पिक आवास देना – यह अत्याचार और अमानवीयता की पराकाष्ठा है।

Scanned with OKEN Scanner

**जयसिंह अग्रवाल**
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. .....  दिनांक : .....

अतः आप से अपेक्षा है कि –

- ग्राम जटराज के प्रभावित परिवारों को तत्काल पुनर्वास हेतु चिन्हित स्थल पर बसाने की कार्रवाई की जाए।
- जिन परिवारों को प्रबंधन द्वारा किराए के मकान में रहने की सलाह दी गई थी और किराया भुगतान के लिए एसईसीएल द्वारा दिए जाने का वादा किया गया था, ऐसे परिवारों को आठ माह की अवधि का बकाया किराया शीघ्र भुगतान किया जाए।
- जिन परिवारों के मकान तोड़े गए हैं, उन्हें स्थायी आवास हेतु वैकल्पिक भूमि एवं आवश्यक सुविधाएँ तत्काल उपलब्ध कराई जाएँ।
- संबंधित अधिकारियों की लापरवाही की जांच कर दोषियों पर कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।

आपके संज्ञान में यह भी लाना आवश्यक है कि कुसमुंडा खदान विस्तार परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों की प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं के समाधान हेतु मेरे द्वारा पूर्व में भी आपको पत्र प्रेषित किए गए हैं जिसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि एसईसीएल मुख्यालय में पदस्थ महाप्रबंधक (भू–राजस्व) द्वारा प्रबंधन एवं प्रशासन को गुमराह करते हुए भ्रामक जानकारियां दी जा रही हैं। आश्चर्य है कि एसईसीएल उच्च प्रबंधन एवं प्रशासन द्वारा पूर्व में लिखे गए पत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उन ग्रामीणों की समस्याएं आज भी यथावत हैं।

अतएव इस पत्र के माध्यम से आपको अवगत कराना आवश्यक है कि यदि ग्राम जटराज के प्रभावित परिवारों की समस्याओं के समाधान हेतु शीघ्र एवं ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो प्रभावित ग्रामीणों को उच्च प्रशासन एवं न्यायिक मंचों पर इस अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

जयसिंह अग्रवाल

**प्रतिलिपिः**

1 माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
2 जिला कलेक्टर, कोरबा (छ.ग.)।
3 महाप्रबंधक, कुसमुंडा क्षेत्र, एस.ई.सी.एल., कोरबा।

Scanned with OKEN Scanner